कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 105/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 17.03.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 17.03.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न **कार्यवाहियां की गयी।**

प्रेस-नोट, दिनांक – 17.03.2026

थाना – कोतवाली, जनपद आजमगढ़

प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ – 02 अभियुक्त गिरफ्तार, नकदी बरामद

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से नकद धनराशि भी बरामद की गई है।

पूर्व की घटना का विवरण :

अवगत कराना है कि वादी अभिषेक यादव निवासी थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान उसकी मुलाकात संजय कुमार भारद्वाज से हुई, जिसने स्वयं को कोचिंग संचालक बताते हुए आर्मी, पुलिस व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन कराने का झांसा दिया।

अभियुक्त द्वारा वादी से यूपीएसआई परीक्षा पास कराने के नाम पर 10 लाख रुपये की मांग की गई तथा प्रारंभिक रूप से 50,000 रुपये प्राप्त किए गए। साथ ही फर्जी प्रश्नपत्र (मॉक पेपर) को "टॉप सीक्रेट" बताकर दिया गया। परीक्षा में प्रश्नपत्र मेल न खाने पर वादी को ठगी का एहसास हुआ।

इस संबंध में थाना कोतवाली पर **मु0अ0सं0 109/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी/अनावरण का विवरण :

दिनांक **17.03.2026** को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तगण—

1. संजय कुमार भारद्वाज
2. अजीत कुमार को **पुरानी जेल बंधा रोड** से समय करीब **08:15 बजे** गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त :

1. **संजय कुमार भारद्वाज** पुत्र देवनाथ राम, निवासी कुतूपुर थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ (उम्र 42 वर्ष)
2. **अजीत कुमार** पुत्र रामजतन राम, निवासी कमथरी नूरपुर थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ (उम्र 34 वर्ष)

बरामदगी :

नकद **₹6,900/-**

पूछताछ का विवरण :

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने का झांसा देकर धनराशि प्राप्त करते थे। वादी से प्राप्त धनराशि को आपस में बांट लिया गया तथा बाजार से खरीदा गया मॉक पेपर “टॉप सीक्रेट” बताकर दिया गया था। बरामद धनराशि शेष बची रकम है।

पंजीकृत अभियोग :

मु0अ0सं0 109/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास :

अजीत कुमार

1. मु0अ0सं0 551/2022 धारा 406/420 भादवि थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 109/2026 थाना कोतवाली, आजमगढ़

संजय कुमार भारद्वाज

1. मु0अ0सं0 109/2026 थाना कोतवाली, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :

1. व0उ0नि0 मेहरे आलम
2. कां0 शैलेन्द्र प्रसाद
3. कां0 शिव कुमार मिश्रा थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

थाना – अहरौला, जनपद आजमगढ़

मोबाइल चोरी का सफल अनावरण – वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी गया मोबाइल बरामद

थाना अहरौला पुलिस द्वारा मोबाइल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके कब्जे से चोरी गया मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

पूर्व की घटना का विवरण :

दिनांक 30.12.2025 को वादी छोटेलाल गिरी पुत्र जगन्नाथ गिरी निवासी ग्राम बेन्दुई, पोस्ट सारैन, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने मोबाइल फोन (VIVO T4X 5G) की चोरी के संबंध में थाना अहरौला पर ऑनलाइन तहरीर दी गई थी।
उक्त के आधार पर **मु0अ0सं0 462/25 धारा 303(2) बीएनएस** बनाम अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया था।
विवेचना के दौरान सर्विलांस सेल की सहायता से मोबाइल के IMEI नंबर को ट्रेस कराया गया, जिसमें संबंधित सिम के आधार पर अभियुक्त की पहचान मो0 शहजाद पुत्र मो0 सगीर निवासी शाहपुर सारैन थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई, जो वांछित चल रहा था।

गिरफ्तारी/बरामदगी का विवरण :

दिनांक **17.03.2026** को उ0नि0 उमाकान्त शुक्ला मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त **मो0 शहजाद** को बरईपुर नहर पुलिया मोड़ के पास से समय करीब **11:00 बजे दिन** गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त के कब्जे से चोरी गया मोबाइल फोन (VIVO T4X 5G) बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा **317(2) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त :

मो0 शहजाद पुत्र मो0 सगीर निवासी – ग्राम शाहपुर सारैन, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग :

1-मु0अ0सं0 462/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :

1. उ0नि0 उमाकान्त शुक्ला, थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 सीताराम यादव, थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक – 17.03.2026

थाना – अहरौला, जनपद आजमगढ़

चोरी की घटना का सफल अनावरण – 04 अभियुक्ताएं गिरफ्तार, चोरी गया माला व लॉकेट बरामद

थाना अहरौला पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 महिला अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके कब्जे से चोरी गया माला व लॉकेट बरामद किया गया है।

घटना का विवरण :

दिनांक 16.03.2026 को आवेदक श्री रामचन्दर पुत्र रामदेव निवासी ग्राम खानपुरचन्दू थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा अपनी माता के गले से माला व लॉकेट चोरी होने के संबंध में थाना अहरौला पर तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर **मु0अ0सं0 068/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस** बनाम 04 नामजद अभियुक्ताओं के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी/बरामदगी का विवरण :

विवेचना के दौरान उ0नि0 नितेश कुमार चौबे द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक **16.03.2026** को अभियुक्ताएं—

1. मीना पत्नी मुन्ना
2. अर्चना पत्नी स्व० विकास
3. अनुष्का पत्नी आशिक
4. पिंकी पत्नी टेनी

को महिला पुलिस कर्मियों की सहायता से थाना अहरौला परिसर से समय करीब **21:57 बजे** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ताओं के कब्जे से चोरी गया **एक अदद माला लॉकेट सहित** बरामद कर कब्जा पुलिस में लेकर नियमानुसार सील किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ताएं :

1. मीना पत्नी मुन्ना, निवासी सउरदवा मित्तूपुर थाना पवई, जनपद आजमगढ़ (उम्र करीब 38 वर्ष)
2. अर्चना पत्नी स्व० विकास, निवासी सउरदवा मित्तूपुर थाना पवई, जनपद आजमगढ़ (उम्र करीब 45 वर्ष)
3. अनुष्का पत्नी आशिक, निवासी पोखरवा थाना मछलीशहर, जनपद जौनपुर (उम्र करीब 25 वर्ष)
4. पिंकी पत्नी टेनी, निवासी पोखरवा थाना मछलीशहर, जनपद जौनपुर (उम्र करीब 22 वर्ष)

पंजीकृत अभियोग :

मु0अ0सं0 068/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

बरामदगी :

एक अदद माला लॉकेट सहित

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :

1. उ0नि0 नितेश कुमार चौबे, थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
2. म0का0 अनामिका कुशवाहा, थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
3. म0का0 नेहा शुक्ला, थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना – बरदह, जनपद आजमगढ़

हत्या के प्रयास की घटना का सफल अनावरण – मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त डण्डा बरामद

थाना बरदह पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास की घटना का सफल अनावरण करते हुए मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डण्डा भी बरामद किया गया है।

पूर्व की घटना का विवरण :

दिनांक 08.03.2026 को वादी नीरज कुमार पुत्र रामलाल निवासी ग्राम भूलनडीह थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि वह राजागंज बाजार गया था, जहाँ नहर के पास उसके पट्टीदार निखिल कुमार उर्फ गोलू पुत्र महेश्वर दत्त पंकज ने पुरानी रंजिश को लेकर अपने साथियों के साथ गाली-गलौज करते हुए उस पर जानलेवा हमला कर दिया।
उक्त सूचना के आधार पर थाना बरदह पर **मु0अ0सं0 76/26 धारा 115(2), 118(1), 352, 351(3), 109 बीएनएस** बनाम निखिल कुमार उर्फ गोलू एवं अन्य अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी/अनावरण का विवरण :

दिनांक **17.03.2026** को उ0नि0 मनीष सिंह द्वारा अभियुक्त निखिल कुमार उर्फ गोलू को पूछताछ हेतु थाना बरदह बुलाया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली, जिस पर उसे समय करीब **08:55 बजे** गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त :

निखिल कुमार उर्फ गोलू पुत्र महेश्वर दत्त पंकज निवासी – ग्राम भूलनडीह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

बरामदगी :

अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद डण्डा बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग :

मु0अ0सं0 76/2026 धारा 115(2), 118(1), 352, 351(3), 109 बीएनएस थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास :

1. मु0अ0सं0 76/2026 धारा 115(2), 118(1), 352, 351(3), 109 बीएनएस थाना बरदह जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 277/2023 धारा 120बी, 363, 366 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :

1. उ0नि0 मनीष सिंह, थाना बरदह जनपद आजमगढ़
2. का0 विद्याकान्त, थाना बरदह जनपद आजमगढ़
3. का0 सूरज सिंह, थाना बरदह जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट, दिनांक – 17.03.2026

थाना – तरवां, जनपद आजमगढ़

जानलेवा हमला, अवैध शस्त्र प्रयोग व चोरी की घटनाओं में संलिप्त संगठित गिरोह पर बड़ी कार्रवाई – गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण :-

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरवां पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत अभियोग में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में उचहुवा बाजार में जानलेवा हमला, लाठी-डंडों से मारपीट तथा अवैध शस्त्रों का प्रयोग किया गया था। साथ ही गिरोह के सदस्यों द्वारा चोरी की मोटरसाइकिलों की बिक्री एवं अवैध हथियार रखने जैसे संगठित अपराध भी किए गए, जिससे क्षेत्र में भय एवं आतंक का माहौल व्याप्त हो गया था। उक्त आपराधिक गतिविधियों के दृष्टिगत गिरोह के विरुद्ध गैंग चार्ट तैयार कर मा0 जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ से अनुमोदन प्राप्त किया गया, जिसके आधार पर थाना तरवां पर मु0अ0सं0 52/2026 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण :-

आज दिनांक 17.03.2026 को थाना तरवां पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त दीपक यादव को उसके घर ग्राम शेखुपुर, थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ से समय करीब 01:50 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

01. दीपक यादव पुत्र लालमनी उर्फ मुन्नीलाल, निवासी – ग्राम शेखुपुर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 23 वर्ष

पंजीकृत अभियोग :-

01. मु0अ0सं0 52/2026, धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986
थाना – तरवां, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास :-

01. मु0अ0सं0 131/2022 धारा 323, 504, 506, 308, 325 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(5क) SC/ST एक्ट थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़
02. मु0अ0सं0 327/2024 धारा 109 आदि भा0न्या0सं0 थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़
03. मु0अ0सं0 291/2025 धारा 317(2), 318(4), 319(2), 336(3), 338 भा0न्या0सं0 थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़
04. मु0अ0सं0 52/2026 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :-

01. उ0नि0 चन्द्रदीप कुमार, थानाध्यक्ष थाना तरवां, जनपद आजमगढ़
02. का0 महेश यादव, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़
03. का0 सौरव सिंह, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़
04. का0 चालक प्रवीन कुमार, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट
थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़
साइबर फ्रॉड के 4500/- रुपये पीड़ित के खाते में वापस कराए गए

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा साइबर अपराध के विरुद्ध सतत् अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक पीड़ित व्यक्ति को साइबर फ्रॉड से आंशिक राहत दिलाते हुए ₹4500/- की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

घटना का विवरण:-

आवेदक श्री प्रशान्त यादव पुत्र श्री बगेदन यादव निवासी ग्राम बनकटा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ ने ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सेवा की तलाश के दौरान सोशल मीडिया पर प्रदर्शित एक फर्जी ट्रांसपोर्ट कम्पनी "VRL LOGISTICS LTD" के झांसे में आकर दिनांक 17.12.2025 को ₹9000/- का ऑनलाइन भुगतान कर दिया। भुगतान के बाद संबंधित नंबर बंद हो गया, जिससे आवेदक को धोखाधड़ी का आभास हुआ।
आवेदक द्वारा तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई गई।
कार्यवाही एवं बरामदगी:-

शिकायत प्राप्त होते ही साइबर टीम, थाना रौनापार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक (Airtel Payments Bank) से समन्वय स्थापित कर ₹9000/- में से ₹4500/- की धनराशि को फ्रॉडस्टर के खाते में होल्ड करा दिया गया। आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर उक्त ₹4500/- की धनराशि आवेदक के खाते में वापस कराई गई।

पुलिस टीम:-
साइबर टीम, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

➡ साइबर अपराध के सामान्य तरीके

01. फर्जी वेबसाइट/सोशल मीडिया विज्ञापन – नकली कंपनियों के नाम से ठगी
02. ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड – एडवांस भुगतान लेकर संपर्क बंद करना
03. कस्टमर केयर फ्रॉड – गूगल पर फर्जी हेल्पलाइन नंबर
04. KYC/OTP फ्रॉड – बैंक बनकर OTP मांगना
05. लिंक/ऐप स्कैम – APK या फर्जी लिंक भेजकर डेटा चोरी

➡ बचाव के उपाय-

किसी भी सेवा के लिए भुगतान से पहले कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और रिव्यू जरूर जांचें
अज्ञात नंबर/लिंक पर विश्वास न करें
किसी के साथ OTP, PIN, पासवर्ड साझा न करें
केवल विश्वसनीय और सत्यापित प्लेटफॉर्म का उपयोग करें
गूगल पर मिले नंबर की जगह ऑफिशियल वेबसाइट से नंबर लें
भुगतान से पहले कंपनी का GST, रजिस्ट्रेशन व संपर्क विवरण सत्यापित करें

➡ क्या करें अगर फ्रॉड हो जाए?

01. तुरंत 1930 (राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन) पर कॉल करें
02. वेबसाइट: www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

➡ जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, पैसा वापस मिलने की संभावना उतनी अधिक होगी

➡ अपील:-

जनपद आजमगढ़ पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि ऑनलाइन लेन-देन करते समय सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस थाना को दें।

थाना – रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण :-

थाना रानी की सराय पर दिनांक 15.03.2026 को प्राप्त तहरीर के आधार पर एक व्यक्ति द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाने तथा उसके साथ अशोभनीय हरकत करने एवं धमकी देने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस संबंध में थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0 63/2026 धारा 65(2), 351(3), 352 बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट बनाम चेतू उर्फ चेतनारायण राम पुत्र स्व० बलेश्वर राम निवासी ग्राम चकवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण :-

दिनांक 16.03.2026 को उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त चेतू उर्फ चेतनारायण राम पुत्र स्व० बलेश्वर राम, निवासी – ग्राम चकवारा, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ को उसके घर ग्राम चकवारा से समय करीब 13:15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग :-

01. मु0अ0सं0 63/2026 धारा 65(2), 351(3), 352 बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट, थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

01. चेतू उर्फ चेतनारायण राम पुत्र स्व० बलेश्वर राम, निवासी – ग्राम चकवारा, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

01. उ0नि0 ओमप्रकाश यादव, थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

02. हे0का0 प्रदीप यादव, थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़